न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फा0 ट्रै0) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 37/2018

उनवान

1. प्रभुदयाल पुत्र श्री रामनाथ
2. मालीराम पुत्र श्री रामनाथ
3. श्यामलाल पुत्र श्री रामनाथ
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र नारायण
2. चम्पा देवी पत्नी सेवाराम
3. हरीराम पुत्र नारायण
4. सीताराम पुत्र नारायण
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
(अ0 धारा 212 आर.टी.एक्ट)

उपस्थित :– श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की और से।
श्री चन्द्रप्रकाश सैनी अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 ता 4 की और से।

निर्णय

निर्णय दिनांक :–16.07.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वाके ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, पटवार हल्का लोहरवाडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 323 के हाल खसरा नम्बर 1021/1325 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1022 रकबा 3.70 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 3.83 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित है। भूमि विवादग्रस्त पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं, तथा अपने हिस्से की भूमि में काश्त कर उपजों को प्राप्त कर लाभ उठाते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि विवादग्रस्त से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का कोई लेना–देना, हक सम्बन्ध, वास्ता अथवा सरोकार नहीं है, वे मात्र प्रार्थीगण की भूमि विवादग्रस्त के दक्षिणी दिशा के पडौसी खातेदार हैं तथा पडौसी काश्तकार होने का नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थीगण का भूमि विवादग्रस्त को हडपना चाहते हैं तथा आये दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते रहते हैं। प्रार्थीगण ने मौके पर अपनी आराजीयात में फसल काश्त कर रखी हैं, तथा आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षार्थ भूमि के चारों तरफ तार बाउण्ड्री कर रखी हैं, तथा अपनी भूमि की सीमा पर प्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात बना रखे हैं, जिसमें मय परिवार के प्रार्थीगण रहवास करते चले आ रहे हैं। किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा आये दिन प्रार्थीगण की सींव को तोडकर प्रार्थीगण की काश्त की हुई फसल को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, तथा प्रार्थीगण की भूमि में नाजाजय रुप से कब्जा करने की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

कोशिश करते है, तथा भूमि में खड्डे नींव आदि खोदने, पुख्ता निर्माण करने की कोशिश करते हैं तथा प्रार्थीगण की सींव पर लगी तार बन्दी को तोड कर भूमि को जबरिया अपने भूमि में मिलाने की कोशिश करते हैं तथा प्रार्थीगण के सीमा पर बने मकानात की नींव आदि को खोद कर उसमें पानी आदि डालकर नींव को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं, तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की उक्त विधि विरुद्ध हरकतों का विरोध करने पर उक्त अप्रार्थीगण 1 ता 4 लडाई झगडा करने पर आमदा हो जाते है। दिनांक 15.06.2018 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 अपने साथ दीगर अजनबी व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा प्रार्थीगण की भूमि में नींव खोद दी और पत्थर आदि डाल कर पुख्ता निर्माण कार्य करने लगे, तथा प्रार्थीगण की भूमि के चारों तरफ की गई तार बाउण्ड्री को तोडने लगे, जब प्रार्थीगण द्वारा मना किया गया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 उग्र हो गये तथा प्रार्थीगण को गाली–गलौच की तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि वे भूमि विवादग्रस्त में लगी तार बाउण्ड्री को तोडकर भूमि विवादग्रस्त पर जबरिया कब्जा कर भूमि को अपनी भूमि में मिलाकर रहेंगे तथा नींव खोद कर पुख्ता निर्माण कार्य कर भूमि पर कब्जा करेंगे, तथा प्रार्थीगण की काश्त की हुई फसल को नष्ट भ्रष्ट करके रहेंगे, तथा प्रार्थीगण के मकानात को नुकसान पहुचायेंगे।

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त में, उपयोग–उपभोग में, उपजों को प्राप्त करने में कोई दखलन्दाजी, बाधा मजाहमत या मदाहखतल पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींवडोल, तारबंदी में तोड फोड करें, ना ही प्रार्थीगण की भूमि में जबरिया प्रवेश करें, ना ही कब्जा करने की कोशिश करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव में तोड फोड कर भूमि विवादग्रस्त को अपनी भूमि में मिलावे, ना ही भूमि विवादग्रस्त में खड्डे, नींव आदि खोद कर पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, तथा ना ही प्रार्थीगण की काश्त की हुई फसल को नष्ट भ्रष्ट करें, ना ही प्रार्थीगण के सीमा पर निर्मित मकानात के पास से मिट्टी हटावे, ना ही मकान की नींव में पानी आदि डाल कर उसको कमजोर करें, ना ही प्रार्थीगण के मकानात की नींव को किसी भी प्रकार से नुकसान कारित करें, तथा अप्रार्थी संख्या 5 भूमि विवादग्रस्त बाबत् किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होने देना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, परिवारजन आदि के जरिये करवायें। अप्रार्थीगण भूमि विवादग्रस्त बाबत् मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस के जवाब में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की और से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश सैनी उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण केवल मात्र मिन अप्रार्थीगण के उत्तरी सीमा के पडौसी काश्तकार हैं, मिन अप्रार्थीगण शान्ति प्रिय व कानून में विश्वास रखने वाले है और अपनी खातेदारी भूमि को शान्तिप्रिय तरीके से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में कब्जा करने की नियत से आये दिन सींवडोल व तारबन्दी को तोडते रहते हैं। मिन अप्रार्थीगण ने तो प्रार्थीगण की भूमि पर गये नहीं कोई निर्माण गाली गलौच आदि की, नहीं किसी प्रकार मकान, फसल इत्यादि को नुकसान कारित किया, ऐसे में वर्णित दिनांक को या पूर्व में कोई घटना घटित नहीं हुई हैं, ऐसे में न तो वाद कारण उत्पन्न हुआ, ना ही किसी प्रकार से चालू हैं। बल्कि प्रार्थीगण आये दिन गाली गलौच, झगडा व सींवडोल को तोडते रहते हैं तथा मिन अप्रार्थीगण की भूमि में जबरन कब्जा करने व फसल को नुकसान करने की कुचेष्टा करते रहते है। प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की सींवडोल की तोड फोड, तारबन्दी को उखाडना एवं फसल में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

आवारा पशुओं को घुसाकर नष्ट करवाते रहते है तथा मकानात की आड में जबरन खातेदारी की भूमि में अनाधिकृत कब्ज करने की कुचेष्टा करते रहते हैं। जिससे बचाव हेतु मिन अप्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1029 व 1030 का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2017 को करवाया गया, जिस सीमाज्ञान के आधार पर पुख्ता पत्थरगढी करवाने का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं में प्रार्थना पत्र प्रस्तुती पर न्यायालय ने उभयपक्षों की सुनकर मिन अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दिनांक 02.06.2018 को स्वीकार कर तहसीलदार चौमूं को आदेश की पालना हेतु निर्देशित किया गया जिस आदेश की पालना न हो उस उद्देश्य के साथ वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु ना होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होते हैं। इसलिये प्रार्थीगण का वाद मय प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के मकान के पास किसी प्रकार से खड्डे खोदे हो या मिट्टी हटाई हो। वकिल अप्रार्थीगण ने दस्तावेज पेश कर न्यायालय को अवगत कराया की प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की पत्थरगढी आदेश माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं मु0 103/2017 उनवानी रामचन्द्र बनाम श्यामलाल में आदेश दिनांक 02.06.2018 की क्रियान्वति को रोकने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। पत्रावली का निर्णय तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन के आधार पर किया जाना है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रे0) चौमूँ

Scanned by CamScanner